आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4) ट्रांसपोर्ट वाउचर/बजट घोषणा/अकाद/आकाशि/2023/02350/122 दिनांकः 10/7/2023

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023 के दिशा निर्देश

1. प्रस्तावना–

राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में स्कूल शिक्षा के तर्ज पर छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जाने की बजट घोषणा (2023–24) की गई है।

छात्राएं स्कूल शिक्षा के पश्चात् निकट के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् आवास से महाविद्यालय की दूरी तथा आर्थिक विषमताओं के चलते उच्च अध्ययन छोड़ देती है, महाविद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए आवास से महाविद्यालय तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

2. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लाभार्थी –

राजकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राएं।

3. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता –

1. किसी भी वर्ष में स्कूटी योजना के तहत लाभान्वित छात्राएं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होगी।
2. छात्राओं का आवास से महाविद्यालय आने व जाने हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा।
3. महाविद्यालय में प्रवेश के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र में भरे गये पते को सत्र के अन्त तक बदला नहीं जा सकेगा।
4. दूरी की गणना आवास से महाविद्यालय तक सबसे कम दूरी (Shortest Distance) वाले सड़क मार्ग से की जायेगी।
5. महाविद्यालय में मासिक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति वाली छात्राऐं ही इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र होगी। उपस्थिति आधार आधारित बायोमेट्रिक मशीन द्वारा संधारित की जायेगी।
6. किसी भी योजनान्तर्गत निःशुल्क छात्रावास/आवास हेतु अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली छात्राऐं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होगी।
7. उक्त योजना का लाभ अधिकतम 180 शिक्षण दिवस/6 माह के लिए दिया जायेगा।
8. राज्य सरकार की किसी भी योजनान्तर्गत ट्रांसपोर्ट का लाभ लेने वाली छात्राएं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं होगी।

4. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत् स्वीकृत राशि की दर –

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत 10 कि.मी. से अधिक दूरी से महाविद्यालय आने वाली छात्राओं को रूपये 20/– प्रतिदिवस का लाभ दिया जाएगा।

महाविद्यालय में अध्यनरत छात्राओ हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

भाग क

(विद्यार्थी द्वारा भरा जायेगा)

सत्र____________

1. छात्रा का नाम – ______________________________
2. पिता का नाम – ______________________________
3. महाविद्यालय का नाम – ______________________________
4. एप्लीकेशन आई डी (ऑनलाईन प्रवेश के समय जारी) – ______________________________
5. कक्षा एवं वर्ग – ______________________________
6. नियास स्थान का पता– ______________________________

   ____

   ____
7. मोबाईल नम्बर – ______________________________
8. ईमेल आई. डी. – ______________________________
9. निवास स्थान से महाविद्यालय की सड़क मार्ग

   से निकटतम दूरी (Shortest Distance) – ______________________________ कि.मी.
10. जन आधार संख्या – ______________________________
11. आधार संख्या – ______________________________
12. बैंक खाते का विवरण –

    (i) खाताधारक का नाम ______________________________

    (ii) बैंक का नाम ______________________________

    (iii) ब्रांच का नाम ______________________________

    (iv) खाता संख्या ______________________________

    (v) आई.एफ.एस.सी ______________________________

संलग्न :– जन आधार एवं पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति

घोषणा–

1. मुझे किसी भी वर्ष मे राज्य सरकार की स्कूटी योजनाओं के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त नहीं हुई है।
2. मुझे किसी योजना अन्तर्गत छात्रावास/आवास हेतु अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं [illegible] है।
3. मुझे राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत [illegible]

Signature valid

Digitally signed by [illegible] Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.0[illegible]:28:35 IST
Reason: Approved

अभिभावक के हस्ताक्षर   दिनांक –   [illegible] हस्ताक्षर

RajKaj Ref No. : 4241867